

मध्य प्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

वल्लभ भवन भोपाल, 462004

क्रमांक 327 / 323 / 2011 / बीस-4

भोपाल, दिनांक 17/2/11

प्रति,

आयुक्त,  
लोक शिक्षण, / राज्य शिक्षा केन्द्र  
मध्यप्रदेश, भोपाल।

CPI

विषय : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्य में स्थापित मानव अधिकार आयोगों के नाम एवं लोगो का दुरुपयोग रोकने बाबत ।

---0---

उपर्युक्त विषयातर्गत सामान्य प्रशासन विभाग (माअप्र)के पत्र क्रमांक एफ5/35/2009/माअप्र/दिनांक 21.1.2001 सहपत्र की छायाप्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि उक्त निर्देशो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध है संलग्न- उपरोक्तानुसार।

*M. Pr. Shiksha*  
अवर सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

4/1/11

harc

17/2/11

2/11

17/2/11



मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग (माअप्र.)  
मंत्रालय  
बल्लभ भवन, भोपाल.

नोपाल, दि 02/01.2011

फनाक एफ-5-65/2009/माअप्र/1

- प्रति,
1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
सनस्त विभाग,  
मंत्रालय, भोपाल.
  2. सनस्त विभागाध्यक्ष,  
मध्यप्रदेश.
  3. सनस्त संनागायुक्त,  
मध्यप्रदेश.
  4. सनस्त कलेक्टर,  
मध्यप्रदेश.
  5. सनस्त पुलिस अर्वाक,  
मध्यप्रदेश.


मध्य प्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
फली नं. 323  
दिनांक 05-2-11  
5211

विषय-राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्य में स्थापित मानव अधिकार आयोगों के नाम एवं लोगो का दुरुपयोग रोकने बाबत।  
संदर्भ-राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अ.शा.पत्र क्र० 18(13)/2010-कोर्ड, दि० 29.12.10 (प्रति संलग्न)

-0-

महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नईदिल्ली द्वारा संदर्भित अ०शा० पत्र के माध्यम से मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन के ध्यान में यह बात लाई है कि कुछ अशासकीय संस्थाएं, संगठन, न्यास तथा कंपनियां राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग या राज्य में स्थापित मानव अधिकार आयोग के लोगो या नाम के समरूप लोगो अथवा नाम का पंजीयन कर अनुचित लाभ उठा रहे हैं। Emble and Names (Prevention of Improper use) Act, 1950 के अधीन धारा 26 एवं 27 का उल्लंघन के लिए मानव अधिकार आयोग उनके विरुद्ध कार्यवाही कर दंडित कर सकता है। इसलिए महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा अनुरोध किया गया है कि पंजीयन प्राधिकारियों के ध्यान में यह बात लाई जाये कि जो संस्थाएं, संगठन, समितियां, न्यास अथवा कंपनियां राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अथवा राज्य मानव आयोग के लोगो अथवा नाम के समरूप पंजीयन कर उसका दुरुपयोग करते हैं उन पर कार्यवाही की जाये। इस स्थिति की रोकथाम के लिए दिये गये निर्देशों का कड़ाई पालन करने का उल्लेख भी आयोग ने किया है।

अतः उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध है।

  
(बी.आर. विश्वकर्मा)  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग(माअप्र.)

सूक 0 एफ-5-35 / 2009 / माअप्र / 1  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दि 21.01.2011

1. श्री कोएसो मणि, महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, फरीदकोट हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली की ओर उनके अ.शा.पत्र क्र 18(13)/2010-कोर्ड, दि 29.12.10 एवं दि 30.12.10 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल।
3. पंजीयक, फर्नस एवं सोसायटी, विंध्याचल भवन, भोपाल की ओर पालनार्थ।
4. सचिव सड आयुक्त, जनसंपर्क न0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रचार-प्रसार के लिये प्रेषित है।



उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
ज्ञानान्य प्रशासन विभाग(माअप्र)


महि

सचिव

S. MONEY

Secretary General

मुख्य सचिव कार्यालय  
 C.S./4011/28/2011  
 दिनांक 03/01/2011  
 समस्त सीमा



By Speed post  
 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग  
 फरीदकोट हाऊस, कोपर्निकस मार्ग,  
 नई दिल्ली-110 001 भारत  
 National Human Rights Commission  
 Faridkot House, Copernicus Marg,  
 New Delhi-110 001 INDIA

D.O. No.16(13)/2010-Coord.

27th December, 2010

Dear Mr. Varsh,

D.S.V 04 JAN 2011

The Commission in the recent past has come across cases where some individuals/NGOs/organizations are misusing the name of the National Human Rights Commission by illegally using the NHRC logo claiming association with the NHRC. Some of these organizations have registered themselves having similar acronym or logo with an intention to mislead the public.

2. The Commission has neither a provision for registration, affiliation of the individuals/NGOs/organizations nor authorize any one to act on its behalf. The individuals/NGOs/organizations using the NHRC logo, name or writing 'Having association with NHRC' or words to the effect misleading the public by misusing the name of the Commission will render themselves liable for legal action.

3. The name and logo of the National Human Rights Commission has been listed in the Schedule of Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 under entry number 26 and 27. The improper use/misuse of the logo and the name of the Commission is punishable as per the Act.

4. The Commission has written to Chief Secretaries of States and UTs to take strict action against such individuals/NGOs/organizations misusing the name and logo of the Commission and misleading the public.

5. However, the practice of misusing the name and logo of the NHRC by the individuals/NGOs/organizations is unabated and Commission has taken serious note of it. To check misuse of the name and logo of the Commission, you are requested to.

- (a) direct all DMs/SSPs to take immediate action against such individuals/NGOs/organizations who are found misusing the name and logo of the Commission and ensure that nobody misuses the name and logo of the NHRC for personal gains and action taken report may be sent to NHRC.
- (b) direct Registrar of Societies in the State not to register any organization having similar name/acronym/logo as NHRC, India.

Contd...2/-

6 5.11.11  
 25/11  
 31/11/11


25/11  
 31/11/11 (HRC)

- (c) give wide publicity in the local electronic and print media that there is no provision for registration, affiliation of the individuals/NGOs/organizations with the National Human Rights Commission and Commission does not authorize any one to act on its behalf. The individuals/NGOs/organizations misusing the name and logo of the NHRC will invite legal action against them.

I shall be grateful for an early action on your part.

With regards,

Yours sincerely,


  
(K.S. Money)

Shri Avani Vaish  
Chief Secretary  
Government of Madhya Pradesh  
FAX: 2441751

लोक शिक्षण संचालनाय  
मध्य प्रदेश

पृष्ठ. क्रमांक/समन्वय/डी/45/2009-2010/40 भोपाल, दिनांक 3/3/2011  
प्रतिलिपि:-

1. सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्य प्रदेश।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म.प्र.
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्य प्रदेश।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण विधि प्रकोष्ठ जबलपुर, इन्दौर, भोपाल।
6. जिला शिक्षा अधिकारी विधि प्रकोष्ठ ग्वालियर।
7. प्राचार्य, शासकीय तात्याटोपे शिक्षा महाविद्यालय, शिवपुरी।
8. योग विभागाध्यक्ष, योग प्रशिक्षण केन्द्र, 1464 टी.टी.नगर, भोपाल।
9. अधीक्षक वैद्यशाला उज्जैन मध्य प्रदेश।
10. मुख्य पुस्तकालय इन्दौर, भोपाल रोदा एवं ग्वालियर मध्य प्रदेश।
11. प्रादेशिक सचिव भारत स्कूट एवं गाइड एसोसिएशन भोपाल।
12. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश।
13. समस्त अधिकारी अधीक्षक, सहायक अधीक्षक लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
संयुक्त संचालक  
लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश